भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1386**

उत्तर देने की तारीख 09 फरवरी, 2026

सोमवार, 2026/20 माघ, 1947 (शक)

**आईटीआई का उन्नयन और राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना**

1386. श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टीः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के उन्नयन और राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों (एनसीओई) की स्थापना के लिए राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों और प्रमुख उद्योग भागीदारों द्वारा प्रस्तुत कार्यनीतिक निवेश योजनाओं (एसआईपी) की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वीकृत, अनुमोदन के लिए लंबित या संशोधन के लिए वापस की गई एसआईपी की संख्या तथा उक्त एसआईपी के लंबित होने या ऐसे संशोधन के कारणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) एसआईपी के मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए निर्धारित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है और क्या अनुमोदन में विलंब से निधि का संवितरण और परियोजना का कार्यान्वयन प्रभावित हुआ है;

(घ) घटक-I और घटक-II के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग की गई कुल निधि का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) हब और स्पोक के रूप में चयनित आईटीआई की राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार तथा आंध्र प्रदेश में जिलावार संख्या कितनी है; और

(च) क्या आंध्र प्रदेश सहित किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र ने एसआईपी तैयार करने में आई कठिनाईयों की जानकारी दी है और यदि हां, तो सरकार द्वारा तकनीकी या संस्थागत सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ) प्रधानमंत्री कौशल विकास और रोजगारपरकता परिवर्तन (पीएम-सेतु) के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) तथा राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) के उन्नयन का प्रस्ताव उद्योग-संचालित विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) के माध्यम से किए जाने का है। उद्योग भागीदार के चयन हेतु, अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) के एवज में एक कार्यनीतिक निवेश योजना (एसआईपी) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अब तक बारह (12) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उद्योग की अभिरुचि आमंत्रित करने हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)/आरएफपी जारी की गई है। पीएम-सेतु के अंतर्गत आईटीआई के स्तरोन्नयन अथवा एनसीओई की स्थापना हेतु धनराशि का निर्गमन, एसआईपी की स्वीकृति के अध्यधीन होगा।

चूँकि अब तक कोई भी एसआईपी स्वीकृत नहीं हुई है, अतः पीएम-सेतु योजना के अंतर्गत आईटीआई के उन्नयन या राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना हेतु कोई भी धनराशि जारी नहीं की गई है।

(ङ) पीएम-सेतु योजना के अंतर्गत आईटीआई का चयन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा उद्योगों के साथ परामर्श करके किया जाता है, ताकि उभरती कौशल आवश्यकताओं एवं स्थानीय औद्योगिक क्षमताओं के साथ समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। प्रस्तावित क्लस्टरों के लिए उद्योग भागीदारों की प्रतिक्रिया के आधार पर हब-एंड-स्पोक आईटीआई क्लस्टरों को वित्तीय सहायता हेतु अंतिम रूप दिया जाएगा।

आंध्र प्रदेश राज्य ने प्रायोगिक चरण में पीएम-सेतु के अंतर्गत पाँच राजकीय आईटीआई को अभिचिन्हित किया है, जिनमें एक हब आईटीआई तथा चार स्पोक आईटीआई सम्मिलित हैं। हब आईटीआई विशाखापत्तनम में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जबकि स्पोक आईटीआई में से एक-एक विशाखापत्तनम एवं विजयनगरम जिलों में और दो अल्लूरी सीताराम राजू जिले में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(च) इस योजना का लाभ राज्य-संचालित चयन प्रक्रिया, उद्योग सहभागिता तथा सुव्यवस्थित कार्यान्वयन कार्यढांचे के माध्यम से प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है। उद्योग संघों एवं उद्योग प्रतिनिधियों के साथ परामर्श किया गया है तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मार्गदर्शन हेतु कई कार्यशालाएँ भी आयोजित की गई हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आरएफपी/एसआईपी तथा संबंधित प्रारूपों की तैयारी के संबंध में स्पष्टीकरण और सहायोगात्मक मार्गदर्शन की मांग की गई है। सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा उद्योग को सहयोग प्रदान करने हेतु एक आदर्श आरएफपी दस्तावेज़, विस्तृत प्रारूप जारी किए गए हैं तथा क्षेत्रीय क्षमता-निर्माण कार्यशालाएँ निर्धारित/आयोजित की गई हैं, ताकि प्रस्तावों/एसआईपी की समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तैयारी सुनिश्चित की जा सके।

*****